बीकमिंग लाईट प्रदर्शनी का शुभारंभ

उदयपुर,। गणगौर घाट स्थित बागोर की हवेली में गुजरात अहमदाबाद की शीना चावला द्वारा दो दिवसीय चित्र कला प्रदर्शनी बीकमिंग लाईट का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन शिल्पकार हेमंत जोशी द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी का क्यूरेट नरेन्द्र पटेल द्वारा किया गया।

इस प्रदर्शनी में शीना चावला द्वारा 35 अमूर्त चित्रों का एक गहन व्यक्तिगत संग्रह है, जो उपचार, मुक्ति और आंतरिक वापसी की यात्रा की खोज करता है। प्रत्येक कार्य एक ध्यानपूर्ण कार्य है स्वयं के साथ एक शांत बातचीत, जहाँ भावनाओं की परतें रंग, रूप और मौन में बदल जाती है।

शीना के लिए, अमूर्त कला एक माध्यम से कहीं अधिक है यह अशोभनीयता का एक पवित्र स्थान है। उनकी शैली, जिसे वे सहज अमूर्त रचना के रूप में परिभाषित करती हैं, सहज ज्ञान से उभरती है, औपचारिकता के बजाय भावना द्वारा निर्देशित होती है। जैविक रेखाओं, बनावट वाले आवरों और प्रतीकात्मक आकृतियों के माध्यम से, श्रृंखला परिवर्तन का एक दृश्य मानचित्र प्रस्तुत करती है भार से हल्कापन तक, शोर से स्थिरता तक। प्रदर्शनी का समापन 21 जून को होगा।

योग आत्मा, मन और चेतना को जाग्रत करने वाली साधना है : प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत

योग विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रो.शिवसिंह सारंगदेवोत ने संबोधित किया।

- एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी
- योग के आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पक्षों पर हुआ मंथन

उदयपुर, जन-जन तक योग की चेतना पहुंचाने और 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' के आदर्श को स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्थान विद्यापीठ विवि एवं भूपाल नोबल्स विवि के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार बीएड महाविद्यालय के सभागार में एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत, कुलाधिपति भंवर लाल गुर्जर, भूपाल नोबल्स संस्थान के मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह आगरिया, प्रबंध निदेशक डॉ. मोहब्बत सिंह रूपाखेड़ी, महंत भुवनेश्वरी पुरी, वित्त मंत्री शक्ति सिंह कारोही, संयुक्त मंत्री राजेन्द्र सिंह ताणा, प्राचार्य प्रो. सरोज गर्ग, डॉ. भूपेन्द्र सिंह चौहान ने मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पाजली एवं दीप प्रज्जवलित कर किया।

आयोजन सचिव डॉ. रोहित कुमावत ने बताया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी में 180 से अधिक ऑफ लाईन व 250 प्रतिभागियों ने ऑन लाईन शिरकत की, समारोह में रंजना राणा ने संगीत की धुन पर योग की विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित कर सभी को मंत्रमूग्ध कर दिया। संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कुलगुरु प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने योग को केवल शरीर की क्रिया न मानकर आत्मा, मन और चेतना को जागृत करने वाली आध्यात्मिक साधना बताया। उन्होंने श्रीराम-हनुमान संवाद और श्रीमद्भगवद्गीता के श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि योग व्यक्ति को सांसारिक मोह से ऊपर उठाकर अनुशासन, संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर करता है। प्रो. सारंगदेवोत ने योग को पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ संतुलन स्थापित करने वाली प्रक्रिया बताया और कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में योग सामाजिक, पर्यावरणीय और व्यावसायिक संबंधों में भी संतुलन का माध्यम है।

मुख्य वक्ता महंत भुवनेश्वरी पुरी ने योग के संपूर्ण जीवन पर प्रभाव की विवेचना करते हुए कहा कि योग केवल शरीर और मन की शुद्धि का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और चरित्र निर्माण की भी सशक्त विधा है। बीएन संस्थान के सचिव डॉ. महेन्द्र सिंह अगरिया ने योग को विवेक जागरण और आत्मचिंतन की शक्ति बताया। अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने अपने संबोधन में योग को केवल विशेष वर्ग तक सीमित न रखते हुए वंचित और दूरस्थ समाज तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग को जन-जन की साधना बनाना आज की आवश्यकता है। प्रारंभ में डॉ. भूपेन्द्र सिंह चौहान ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर डॉ. सरोज गर्ग, डॉ. रचना राठौड़, डॉ. युवराज सिंह बेमला, डॉ. भवानीपाल सिंह राठौड़, डॉ. अमिया गोस्वामी, अमी राठौड़, डॉ. रोहित कुमावत, डॉ. हितेशचंद रावल, डॉ. ममता कुमावत, डॉ. सुभाष पुरोहित, डॉ. शांतिलाल, डॉ. अनिता राजपुत, डॉ. प्रिती कच्छावा, डॉ. मनीष पालीवाल सहित विद्यापीठ के डीन डायरेक्टर उपस्थित थे। संचालन डॉ. हरीश चौबीसा ने किया जबकि आभार प्राचार्य डॉ. सरोज गर्ग ने जताया।

पेंशनर्स ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन

उदयपुर, (का.स.)। जय नारायण व्यास विश्व विद्यालय,जोधपुर के पेंशनरों को पिछले छः माह से पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन भुगतान की मांग को लेकर पिछले 37 दिन से विश्व विधालय में धरना दे रहे हैं फिर भी पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है।

इसको देखते हुए अध्यक्ष प्रो.एच.एस. शर्मा,फेडरेशन ऑफ़ पेंशनर्स ऑफ़ स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ़ राजस्थान, जयपुर के आव्हान किया है कि जेएनवि विश्व विद्यालय जोधपुर पेंशनर के समर्थन में धरना प्रदर्शन करें।इसी सन्दर्भ में उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि. प्रौ. वि. वि. एव सुखाडिया वि.वि., राजस्थान कृषि वि.वि. बीकानेर इकाई, उदयपुर के पेंशनर्स एवं एमपीयूटी कर्मचारी संघ शुक्रवार को देहलीगेट पर एकत्रित हुए। 400 पेंशनर जलूस के रूप में नारे लगाते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुँच कर दो घंटे तक धरना दिया। एमपीयूटी पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डा.सुरेन्द्र भटनागर, उपाध्यक्ष प्रो.पी.सी. कंठालिया, महासचिव आर.के राजपूतए सुखाडिया विण्विण् पेंशनर संघ के अध्यक्ष प्रो. दरियाव सिंह आदि ने पेंशनरों को संबोधित करते हुए कहा कि पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी ले और जयनारायण व्यास वि.वि. के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान शीघ्र करें।

फैक्ट्रियों के विरूद्ध मिलावट के खिलाफ जारी रहा अभियान

उदयपुर, (का.स.) । कृषि मंत्री डॉ.किरोड़ीलाल मीणा की ओर से प्रदेश की खाद्य एवं बीज फेक्ट्रियो पर मिलावट के खिलाफ अभियान के चलते हुए उदयपुर में दूसरे दिन शुक्रवार को भी छापेमार कार्रवाही हुई। शुक्रवार को कृषि मंत्रालय की टीमों ने खेमली औद्योगिक क्षेत्र के कोरोमंडल फर्टिलाइजर, प्रेक्षा फर्टिलाइजर, अरावली फॉस्फेट, पटेल फॉसकेम पर जांच पड़ताल कर सेम्पल एकत्रित किए। फेक्ट्रियो पर डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के पहुंचने की खबरों ने दिन भर खाद्य एवं बीज व्यापारियों को पशोपेश में रखा, हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने सर्किट हाउस में ही जनसुनवाई की ओर बीजेपी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को उदयपुर के उमरड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में रामा फास्फेट, अदिशा . आईपीएल, प्रेम सखी, पटेल फास्फेट, साधना फास्फेट, वालिया और भूमि फास्फेट पर छापेमारी की कार्रवाई की।

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

E-TENDER NOTICE

www.mlsu.ac.in Email: compt@mlsu.ac.in

F. No. MLSU/E-Ten./Stationary/2025-26/241 Dated: 20-06-2025

E- Bids are invited on or before 07.07.2025 till 6:00 PM from reputed firms for purchase **Supply of Stationary Articles (Estimated cost Rs. 25.00 lacs only)**. Other details can be downloaded from websites SPPP Rajasthan (**https://sppp.rajasthan.gov.in**), **e-procurement** (**https://eproc.rajasthan.gov.in**) and University website (https:// mlsu. ac.in)

NIB CODE:	UBN NO:
SUU2526A0010	SUU2526GLRC00043

Comptroller

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द

सं. 96-97 **लोक-सूचना** दिनांक: 20/06/2025

श्री रतन लाल कुमावत पिता श्री तुलसीराम कुमावत निवासी नई आबादी सनवाड राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	सनवाड़	1371/3 1373/1	रकबा 0.0324 हैक्टेयर में से रकबा 0.0148हैक्टेयर रकबा 0.0405 हैक्टेयर में से रकबा 0.0281हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 20/06/25को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर (राज.) के पत्र क्रमांक RJ/24/SEAC-4(06)/MIN/R.EC/1768 एवं पर्यावरण स्वीकृति पहचान संख्या EC25C0108RJ5443376N दि. 3.3.2025 के द्वारा श्रीमती वर्षा साहू को नि. ग्रा. सवीना, तहसील गिर्वा, उदयपुर में स्थित खनन पट्टा M L No. 74/2010 क्षेत्र 1.00 हेक्टेयर वास्ते खनिज मेसेनरी स्टोन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उपरोक्त स्वीकृति पत्र की प्रति SEIAA, जयपुर एवं राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर के कार्यालय में जनसाधारण के लिए उपलब्ध है एवं मण्डल की वेबसाइट www.environmentclearance.nic.in एवं https:/parivesh.nic.in पर देखी जा सकती है।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर (राज.) के पत्र क्रमांक RJ/24/SEAC-4(06)/MIN/R.EC/1759 एवं पर्यावरण स्वीकृति पहचान संख्या EC25C0108RJ5629067N दि. 3.3.2025 के द्वारा मेसर्स चारभुजा कंस्ट्रक्शन को नि. ग्रा. ईसवाल, तहसील बड़गाँव, उदयपुर में स्थित खनन पट्टा M L No. 21/1997 क्षेत्र 1.96 हेक्टेयर वास्ते खनिज मेसेनरी स्टोन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उपरोक्त स्वीकृति पत्र की प्रति SEIAA, जयपुर एवं राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर के कार्यालय में जनसाधारण के लिए उपलब्ध है एवं मण्डल की वेबसाइट www.environmentclearance.nic.in एवं https:/parivesh.nic.in पर देखी जा सकती है।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर (राज.) के पत्र क्रमांक RJ/24/SEAC-4(06)/MIN/R.EC/0229 एवं पर्यावरण स्वीकृति पहचान संख्या EC24C0108RJ5302996N दि. 2.2.2025 के द्वारा मेसर्स चारभुजा मिनरल्स एंड क्रशिंग प्लांट को नि. ग्रा. उमरडा, तहसील गिरवा, उदयपुर में स्थित खनन पट्टा M L No. 02/2006 क्षेत्र 1.00 हेक्टेयर वास्ते खनिज मेसेनरी स्टोन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उपरोक्त स्वीकृति पत्र की प्रति SEIAA, जयपुर एवं राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर के कार्यालय में जनसाधारण के लिए उपलब्ध है एवं मण्डल की वेबसाइट www.environmentclearance.nic.in एवं https:/parivesh.nic.in पर देखी जा सकती है।

धरना दूसरे दिन भी जारी

उदयपुर, (का.स.)। टीएडी विभाग में कथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्त्ता युनूस चोपदार का शुक्रवार को दूसरे दिन भी अनशन जारी रहा । शुक्रवार को यहाँ जारी एक बयान में चोपदार ने कहा कि 'मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोजाना भ्रष्टाचार के विरुद्ध ष्जीरो टोलरेंस नीतिष् की बात करते हैं लेकिन बदकिस्मती से मुख्यमंत्री जी को इस विभाग के घोटाले नजर नहीं आते हैं। जहाँ अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण बच्चों को खाने में कीडे भी खाने पडते हैं।उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के मामलों में पिछले 2-3 वर्षों से टीएडी विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जांच की फाईलों को दबाकर बैठे हैं। कार्यवाही के नाम पर आज तक ना तो किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई वसुली की कार्यवाही हुई और ना ही किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही।

करंट से चिकित्सक की मौत का मामला: रेजीडेंट डॉक्टर्स दूसरे दिन भी रहे हड़ताल पर

- हॉस्पिटल प्रशासन के लिए रेजीडेंट डॉक्टर्स ने किया सदबुद्धि यज्ञ
- इमरजेंसी सहित सभी जगहों पर रेजीडेंट सेवाएं रही ठप्प

उदयपुर, (का.सं.)। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में वाटर कूलर में करंट लगने से रेजीडेंट डॉक्टर्स की मौत के मामले में दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। रेजीडेंट डाक्टर्स ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल डॉ.विपिन माथुर के कार्यालय के बाहर सद्धुद्धि यज्ञ किया और कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इससे पहले रेजीडेंट डॉक्टर्स की हडताल होने से एमबी हॉस्पिटल की ओपीडी सहित इमरजेंसी में सेवाएं पूरी तरह से ठप्प रही। हॉस्पिटल के ओपीडी में मरीजों की लम्बी कतारे लग गई। हांलाकि सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाले रखा लेकिन यह नाकाफी रहा। रेजीडेंट डॉक्टर्स ने शुक्रवार को प्रशासनिक भवन के बाहर जमा होने के बाद प्रिंसीपल व चीफ वार्डन से इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि हॉस्पिटल प्रशासन में मानवता नाम की चीज नहीं है। एक रेजीडेंट डॉक्टर्स की करंट लगने के बाद मौत हो जाने के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने अनुसार तोड मरोड के पेश किया जा रहा है। मृतक डॉ. रवि शर्मा के भाई डॉ.प्रशांत शर्मा ने बताया कि हॉस्टल के वाटर कूलर में करंट आने की सूचना पूर्व में प्रशासन को दी जा चुकी थी लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इसलिए इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और अब इस घटना के बाद भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। डॉ.शर्मा ने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी प्रकार से करंट लगने का जिक्र तक नहीं है जबकि अन्य विशेषज्ञों से बातचीत से यह स्पष्ट है कि शरीर पर जो निशान है शरीर के अंदर आर्गन की जो स्थिति है उससे यह स्पष्ट है कि डॉ. रवि शर्मा की मौत करंट से हुई है।

उन्होंने मांग की है कि डॉ. रवि शर्मा की पत्नी को मुआवजे के साथ उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए साथ ही जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कडी कार्यवाही की जाए। डॉ.प्रशांत शर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन हमारी मांगो पर ध्यान नहीं देता है तो पूरे प्रदेश के रेजीडेंट डॉक्टर्स उनके साथ है। उनके आ ान पर पूरे प्रदेश में एक साथ हडताल की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की होगी।

इधर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन डॉ.रवि शर्मा की मौत के बाद हड़ताल कर रहे रेजीडेंट डॉक्टर्स से मिलने के लिए शहर विधायक ताराचंद जैन आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन के बाहर पहुंचे और उनसे मुलाकात करते हुए उनसे समझाइश की। जैन ने कहा कि उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाया जाएगा,वे अपनी स्ट्राइक को तुंरत खत्म कर काम पर लौटे ताकि मरीजों को परेशानी नहीं हो। हांलाकि रेजीडेंट डॉक्टर्स अपनी मांग पर अडे रहे और शहर विधायक की बात को नहीं मानते हुए हड़ताल को जारी रखा। इस संबंध रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रदेश के कृषि मंत्री डॉ. किरोडी मीणा से मुलाकात करते हुए न्याय दिलाने की मांग की। डॉक्टर्स ने मीणा को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और हॉस्पिटल प्रशासन की हठधर्मिता के बारे में बताते हुए कहा कि वे दखलअंदाजी करते हुए प्रिंसीपल से बात करते हुए न्याय दिलाए। मीणा ने डॉक्टर्स की बात सुनते हुए प्रिंसीपल से बातचीत करने की बात कही। दूसरी और रेजीडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक से एक बार फिर एमबी हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमरा गई। 600 से अधिक रेजीडेंट डॉक्टर्स के साथ एमबी हॉस्पिटल में स्ट्राइक करने की वजह से सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाला लेकिन चिकित्सकों की संख्या नाकाफी होने और मरीजों की संख्या अधिक होने की वजह से मरीजों की लम्बीकतारे लग गई। कई मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ा तो कई मरीजों ने निजी हॉस्पिटल की और रूख किया। डॉ.रवि शर्मा की मौत को लेकर दूसरे दिन रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशनए आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रिंसीपल डॉ. विपिन माथुर,जिला कलेक्टर नमित मेहता व शहर विधायक ताराचंद जैन के बीच वार्ता हुई। करीब एक घंटे तक चली वार्ता के बीच रेजीडेंट डॉक्टर्स ने कुल 7 मांगो को प्रशासन के सामने रखा लेकिन उनमें से तीन मुख्य मांगो को प्रशासन ने मानने से इंकार कर दिया। ऐसे में रेजीडेंट डॉक्टर्स की ओर से की जा रही हडताल जारी है। रेजीडेंट डॉक्टर्स ने मुख्य रूप से मृतक के परिजनों को 2 करोड रूपए मुआवजा देने, हाथीपोल थाने में दर्ज प्राथमिकी पर जिम्मेदार अधिकारियों को नामित करने व प्रिंसीपल सहित वाइस प्रिंसिपल व हॉस्टल वार्डन को निलम्बित करने की मांग को रखा गया था।

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द

सं. 2590 **लोक-सूचना** दिनांक: 19/06/2025

श्री गिरजा शंकर गुप्ता(HUF) पिता श्री मनोहर लाल अग्रवाल निवासी 100 फीट रोड़ अरिहन्त विहार पॉवर हाउस के पास राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	धोईन्दा	4232/1478	रकबा 0.1295 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 19/6/25को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द

सं. 94-95 **लोक-सूचना** दिनांक: 20/06/2025

श्री नीरज पालीवाल पिता श्री सत्यनारायण पालीवाल निवासी महादेव कॉम्पलेक्स पवन होटल के सामने कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	धोईन्दा	4148/994	रकबा 0.0840 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 20/6/25को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.)

Email:-np_ntd@yahoo.in Phone-02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ/भूमि/2025/7872 दिनांक : 18/06/2025

-:आपत्ती सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार श्री कन्हैयालाल, श्रीजीलाल, श्री आलोक, श्री कमलेश, श्री मयंक सनाढ्य, श्रीमती मीनाक्षी , श्रीमती सीमा पिता स्व.श्री हरिदास सनाढ्य निवासी नाथद्वारा तहसील-नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द द्वारा राजस्व ग्राम-नाथद्वारा के खसरा नम्बर-1338 रकबा 00-14-10 बीघा में से 1839.59 वर्गगज का पट्टा विलेख क्रमांक 397/13/प्रकरण सं.-68 दिनांक 17.04.2013 से आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा प्राप्त कर उक्त भूखण्ड का प्रार्थी द्वारा आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है।

उक्त भूखण्ड के पडौस पूर्व-आराजी संख्या -1331 की भूमि, पश्चिम -आम रास्ता 30 फिट, उत्तर-प्रार्थीयान का वाणिज्यिक भूखण्ड, दक्षिण-आराजी संख्या-1337 की भूमि है। उक्त भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 10 दिवस मे मय आपत्ति दस्तावेज पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करें बाद मियाद किसी भी प्रकार आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी। आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.)

Email:-np_ntd@yahoo.in Phone-02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ/तामिर/2025/7767 दिनांक : 18/06/2025

-:आपत्ती सूचना:-

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर प्राप्त भूखण्ड /भवन का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर भवन निर्माण में कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोईआपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम / पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पडौस पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्री किशनलाल माली पिता श्री भैरूलाल माली एवं श्रीमती सुशीला माली पत्नि किशन लाल माली	भूखण्ड क्षेत्रफल-1010 वर्गफिट, तेलियो का तालाब नाथद्वारा	रास्ता	रास्ता	हीरालाल भोई का मकान	टेका माली का मकान

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.)

Email:-np_ntd@yahoo.in Phone-02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ/उप.एकी./2025/7718 दिनांक : 16/06/2025

-:आपत्ती सूचना:-

एतर्थ द्वारासर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का उपविभाजन /एकीकरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर उपविभाजन /एकीकरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पडौस का विवरण पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्रीमती विष्णु देवी कुमावत पत्नि श्री शम्भु लाल कुमावत, नाकोडा नगर लाल बाग, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या-J6 क्षेत्रफल-990 वर्गफिट, नाकोडा नगर लाल बाग नाथद्वारा	30 फिट रोड़	नाथुलाल जी माली की कृषि भूमि	भूखण्ड संख्या-J7	भूखण्ड संख्या-J5

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा

सं./न.पा.नाथ./90 क/25/7818 दिनांक : 18/06/2025

लोक-सूचना

श्रीमती बृजलता पत्नी श्री लाखन सिंह चौधरी एवं श्री लाखन सिंह पिता श्री भगवान सिंह चौधरी जिला-राजसमन्द ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	गुंजोल	1605/491	कुल रकबा 0.0885 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18/06/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक: 8 प्रकरण निस्तारित

- सीआईडी क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, 8 साल से फरार 25 हजार का इनामी संदीप बावरिया गिरफ्तार

जयपुर । सीआईडी क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यालय की टीम ने अंतर्राज्यीय अपराधों में संलिप्त एक बड़े गिरोह पर करारा प्रहार किया है। पुलिस ने चैन स्नेचिंग, लूटपाट, अवैध हथियार रखने, हत्या के प्रयास और चोरी व नकबजनी जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने वाली बावरिया गैंग के एक सक्रिय और कुख्यात सदस्य संदीप बावरिया को दबोच लिया है। यह शातिर अपराधी पिछले आठ सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम घोषित था। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एम.एन. के कड़े निर्देशों के तहत स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंगस्टरों और संगठित गिरोहों के खिलाफ एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। इसी अभियान के तहत शुक्रवार को टीम को यह बड़ी सफलता हासिल हुई। शातिर इनामी बदमाश संदीप बावरिया पुत्र पवन उम्र 30 साल निवासी अलाउदीनपुर थाना झिंझाना जिला शामली, उत्तर प्रदेश उदयपुर में वर्ष 2017 में हुई दो चैन स्नेचिंग की वारदातों में मुख्य वांछित था। इन घटनाओं में बाइक सवार बदमाशों ने महिलाओं को बातों में उलझाकर दिनदहाड़े उनकी चेन लूट ली थी। संदीप बावरिया सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी अपने संगठित गिरोह के साथ मिलकर कई संगीन वारदातों को अंजाम देता था। उसके आपराधिक रिकॉर्ड में अवैध हथियार रखने, चैन स्नेचिंग, लूट, हत्या के प्रयास और चोरी जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं। बावरिया गैंग की कार्यप्रणाली में पावर बाइकों का इस्तेमाल कर महिलाओं के गले से चेन तोडना शामिल है। यह अपराधी गत काफी समय से पुलिस को चकमा देकर लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, जिससे उसकी गिरफ्तारी एक चुनौती बनी हुई थी। इस जटिल अभियान को उपमहानिरीक्षक पुलिस अपराध योगेश यादव के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत शर्मा के समन्वय में अंजाम दिया गया। एएसआई दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम जिसमें हेड कांस्टेबल शाहिद अली, कांस्टेबल महेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह और संजय शामिल थे, को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया था।

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरा पंचायत समिति सायरा जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-ग्रा.प./भानपुरा/निविदा/2025-26/13 दिनांक-18.06.2025

निविदा सूचना

इस कार्यालय के पत्रांक 13 दिनांक 18/06/2025 द्वारा निम्नलिखित सुचना द्वारा अनुबंध पर कार्य करवाने हेतु निविदा सूचना जारी की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.स.	निविदा का विवरण	अनुमानित राशि	UBN No
1	25-26/03/ 12.06.25	50.00 लाख	ZUD2526GLRC00950

निविदा का विस्तृत विवरण **www.sppp.rajasthan.gov.in** एवं **eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

प्रशासक	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भानपुरा पं.स.सायरा, जिला-उदयपुर	ग्राम पंचायत भानपुरा पं.स.सायरा, जिला-उदयपुर

यूडीए में शामिल किए गांवों के विरोध में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने खोला मोर्चा

उदयपुर की यूडीए आम सभा बैठक में उपस्थित संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी एवं जिला कलक्टर नमित मेहता सहित अन्य।

- बाप पार्टी सांसद राजकुमार के नेतृत्व में सैकड़ो आदिवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट

उदयपुर, (का.स.)। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने हाल ही में 70 गांवो में अपनी पेराफेरी में शामिल किया लेकिन आदिवासी लोगों के रिजर्व पंचायतों को शामिल करने से उसका विरोध होने लगा है। शुक्रवार को भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले बाप पार्टी सांसद राजकुमार रोत के नेतृत्व में सैकड़ो ग्रामीण जिला कलेक्ट्री पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूडीए में शामिल किए गए गांवो हटाने की मांग की। राजकुमार रोत ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उदयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से राज्य सरकार आदिवासियों की जमीनों को हडपना चाहती है।

प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो लेकिन सभी ने आदिवासियों के हक को छीनने का काम किया है। रोत ने बताया कि चाहे उदयपुर विकास प्राधिकरण या हो फिर नगर निगम या नगर पालिका कोई भी आदिवासियों की जमीनों को हडप नहीं सकती। उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसे खत्म कर आदिवासियों की जमीनों को लौटाई जाए और राज्य सरकार इन आदिवासियों को इनकी जमीनों का हक दे ताकि वे भी जमीनों के मालिक बन सके। राजकुमार रोत ने कहा कि अगर राज्य सरकार हमारी मांगो को नहीं मानती है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बतादें कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों को यूडीए में शामिल करने का पहले भी विरोध हो चुका है। इन पंचायतो के लोग उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा से मुलाकात कर चुके है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है। अब इस मामले में बाप पार्टी और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के लोगों ने उठाया है। ऐसे में इन पंचायतों के शामिल करने का विरोध बढ़ता ही जा रहा है।

कार्यालय ग्राम पंचायत चणबौरा पंचायत समिति गिर्वा, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- 56 दिनांक-03.6.2025

-: ई निविदा सूचना -02/2025-26:-

ग्राम पंचायत चणबौरा में डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) उदयपुर द्वारा स्वीकृत रा.उ.मा.वि. लई में 2 कक्षा कक्ष निर्माण कार्य हेतु ई-निविदाएं दिनांक 23/6/2025 सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/जानकारी **sppp.rajasthan.gov.in** व **eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है। जिसका UBN N0. ZUD2526WSOB00871 है।

प्रशासक	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चणबौरा पं.स.गिर्वा, जिला-उदयपुर	ग्राम पंचायत चणबौरा पं.स.गिर्वा, जिला-उदयपुर